प्रेस नोट

दिनांक- 17.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने के अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 1016/2008 धारा 147/148/323/325 भादवि थाना शिवरतनगंज के अभियुक्तगण 1-शिवशंकर पुत्र रामदत्त 2-रामसरन पुत्र रामदीन 3-आनार कली पुत्री रामदीन निवासीगण प्रेमगढ़ी मजरे अकबरपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0-द्वितीय रायबरेली द्वारा अभि0गण को आज दिनांक 17.05.2024 को धारा-147 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास, 1000/ रु0 अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि में 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास 2000/ रु0 के अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि मे 06 माह का कठोर कारवास,1000/ रु0 अर्थदण्ड एवं धारा 325 भादवि मे 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/ हजार रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 15.12.2008 समय 01.00 बजे अभियुक्तगण 1-शिवशंकर पुत्र रामदत्त 2-रामसरन पुत्र रामदीन 3-आनार कली पुत्री रामदीन निवासी गण प्रेमगढ़ी मजरे अकबरपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी द्वारा एकराय होकर लाठी डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने की तहरीर सूचना पर मु0अ0सं0 1016/2008 धारा 147/148/149/308/323/325/452/504/506 भादवि थाना शिवरतनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री शिवराज सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-03 दिनांक 13.01.2009 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।